



2026:AHC: 181338

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 8470 वर्ष 2025

श्रीमती पूजा सारस्वत

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राजेश कुमार गौतम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 87

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गौतम और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया। विपक्षी संख्या 2 पर नोटिस की पर्याप्त तामील होने के बावजूद, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए न तो विपक्षी संख्या 2 और न ही उसकी ओर से कोई उपस्थित है।
2. पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती पूजा सारस्वत ने विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 2, आगरा जिसे इसके पश्चात विचारण न्यायालय कहा गया है द्वारा थाना एत्माद्दौला, जिला आगरा में वाद संख्या 1347 वर्ष 2021, श्रीमती पूजा सारस्वत बनाम भूपेंद्र में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2025 पर प्रहार करते हुए इस न्यायालय का रुख किया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को आवेदन की तिथि, अर्थात् 23.09.2021 से आक्षेपित निर्णय और आदेश की तिथि अर्थात् 17.10.2025 तक विपक्षी संख्या 2 को 2000/- रुपये प्रति माह की भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण इस आधार पर दाखिल किया गया है कि विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग किए बिना, सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया, जिससे विधि की स्पष्ट त्रुटि कारित हुई है। आक्षेपित आदेश अटकलों और अनुमानों पर आधारित है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना पारित किया गया है। पूर्वोक्त आधार के दृष्टिगत, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना किया कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है और आक्षेपित निर्णय और आदेश इस न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपास्त किए जाने योग्य है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने अवधारण बिंदु संख्या 1, 2 और 3 के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने केवल भरण-पोषण की राशि की अल्पता और उसकी प्रयोज्यता को चुनौती दी है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह एक सुरक्षा कंपनी में कार्यरत है और प्रति माह 8,000/- रुपये कमाता है, हालांकि, विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने मौखिक बयान के सिवाय इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में जीवन यापन की प्रचलित लागत को देखते हुए एक महिला का सम्मानजनक तरीके से भरण-पोषण करने के लिए 2000/- रुपये प्रति माह की राशि बहुत अल्प है। यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के दायित्व को निर्णय की तिथि तक सीमित कर दिया लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि निर्णय की तिथि के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता अपना भरण-पोषण कैसे करेगी। पूर्वोक्त आधारों के दृष्टिगत, इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता है। वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. ने पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया, लेकिन पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी अभिवेदनों को सुनने और अभिलेख के परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता की भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार करने में विफल रहा और जीवन यापन की प्रचलित लागत के दृष्टिगत एक महिला का भरण-पोषण करने के लिए 2000/- रुपये प्रति माह की राशि बहुत अल्प है।

7. पूर्वोक्त कारणों के दृष्टिगत, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अपने न्यायिक विवेक का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया है और इसलिए, यह विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण सफल होता है और स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण **स्वीकार** किया जाता है। अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 2, आगरा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2025 एतद्द्वारा **अपास्त** किया जाता है।

9. प्रकरण को नए सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह दोनों पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात, ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए और विधि के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह के भीतर कार्यवाहियों को संपन्न करे।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

बृजेश मौर्य